[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 09/04/2018 प्रकरणी पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी [illegible] विद्वान अभिभाषक श्री मुन्ना ने पत्र पेश कर [illegible] किया कि उक्त भूमि अभिभाषक श्री शिवकुमार [illegible] लिखित अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाड़ के आदेश क्रमांक 1874-30 दिनांक 09/04/2018 से ग्राम पुष्पा के [illegible] नम्बर 169 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमि से हुए अकृषि प्रयोजन औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा लिया गया है वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर रूपान्तरण आदेश जारी होने से संपरिवर्तन आदेश के नामान्तरण दर्ज नहीं होने से उक्त प्रकरण को डीए किये जाने के आदेश फरमावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से डीए किया जाता है। प्रस्तुत शिकायत अपील बेवर दर्ज नम्बर से [illegible] है, वापस लौटाने दाखिल दफ्तर हो।

(सुखराम पिलेल)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
बाड़ (फलौदी)